बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0सं0:–4/अ0प्र0–1–16/2020 391 /पटना दिनांक–24/10/2

1. (क) श्री सुनील कुमार सिंह, संविदा के आधार पर नियोजित सेवानिवृत कनीय अभियंता (गृह जिला–पटना), कार्य प्रमंडल, मोतिहारी के कार्य प्रशाखा, मोतिहारी–1 की उम्र दिसम्बर, 2024 को 65 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् कार्यहित में इनका यथा स्थान पर नियमानुसार अवधि विस्तार किये जाने हेतु कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, मोतिहारी के द्वारा अनुशंसा किया गया है।

(ख) श्री दीनानाथ राय, संविदा के आधार पर नियोजित सेवानिवृत कनीय अभियंता (गृह जिला–रोहतास), कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद, कार्य प्रशाखा, नवीनगर–01 की उम्र जनवरी, 2024 को 65 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् कार्यहित में इनका यथा स्थान पर नियमानुसार अवधि विस्तार किये जाने हेतु कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद के द्वारा अनुशंसा किया गया है।

(ग) श्री विष्णुदेव दास, संविदा के आधार पर नियोजित सेवानिवृत कनीय अभियंता (गृह जिला–मधेपुरा), कार्य प्रमंडल, फुलपरास, कार्य प्रशाखा, फुलपरास–01 की उम्र फरवरी, 2024 में 65 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् कार्यहित में इनका यथा स्थान पर नियमानुसार अवधि विस्तार करने के अनुरोध को कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, फुलपरास द्वारा अनुशंसा के साथ अग्रसारित किया गया है।

2. तदालोक में विभागीय संकल्प संख्या–4672 दिनांक–09.05.2018 में संसूचित निर्णय के आलोक में दिनांक–16.10.2024 को सम्पन्न हुई विभागीय चयन समिति की बैठक में की गयी अनुशंसा के फलस्वरूप कार्यहित एवं विशेष परिस्थिति में श्री सुनील कुमार सिंह, संविदा के आधार पर नियोजित सेवानिवृत कनीय अभियंता (गृह जिला–पटना), कार्य प्रमंडल, मोतिहारी, कार्य प्रशाखा, मोतिहारी–1, श्री दीनानाथ राय, संविदा के आधार पर नियोजित सेवानिवृत कनीय अभियंता (गृह जिला–रोहतास), कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद, कार्य प्रशाखा, नवीनगर–01 तथा श्री विष्णुदेव दास, संविदा के आधार पर नियोजित सेवानिवृत कनीय अभियंता (गृह जिला–मधेपुरा), कार्य प्रमंडल, फुलपरास, कार्य प्रशाखा, फुलपरास–01 को यथा स्थान पर पूर्ववत अधिकतम 67 वर्ष तक अथवा नियमित नियुक्ति होने तक इनमें से जो पहले हो तक के लिए निम्नांकित शर्त्तों एवं बंधेजों के अधीन नियोजनावधि का विस्तार किया जाता हैः–

(i) यह संविदा आधारित नियोजन अवधि का विस्तार एक–एक वर्ष तक के लिए (अधिकतम 67 वर्ष तक) इस शर्त्त के साथ होगा कि जैसे ही इस विभाग को नियमित कनीय अभियंता के नियुक्ति के निमित्त अनुशंसा प्राप्त हो जाती है, तो उक्त तीनों संविदा के आधार पर नियोजित सेवानिवृत कनीय अभियंता का संविदा नियोजन अवधि स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसके लिए अलग से कोई सूचना दिया जाना आवश्यक नहीं होगा।

(ii) यह संविदा नियोजन पूर्णतः अस्थायी है तथा इसे किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। इस संबंध में संविदा कर्मी द्वारा किया गया कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

(iii) कार्य प्रमंडल, मोतिहारी, औरंगाबाद एवं कार्य प्रमंडल, फुलपरास में योगदान के समय वर्णित तीनों संविदा के आधार पर नियोजित सेवानिवृत कनीय अभियंताओं को स्वस्थ होने से संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(iv) श्री सुनील कुमार सिंह, श्री दीनानाथ राय एवं श्री विष्णुदेव दास का योगदान की तिथि से ही इनका मानदेय/पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा।

उक्त से संबंधित सूचना अथवा अन्य संगत सूचना कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मोतिहारी, औरंगाबाद एवं फुलपरास मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

(v) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0–10000 दिनांक–10.07.2015 के कंडिका–3(2)(क)(vi) के तहत कार्यों की समीक्षा समय–समय पर की जाएगी और कार्य संतोषजनक नहीं होने पर तीनों सेवानिवृत कनीय अभियंता का संविदा नियोजन रद्द कर दी जाएगी। इसके साथ ही उक्त संविदा के आधार पर नियोजित सेवानिवृत कनीय अभियंताओं के नियोजन शर्त्त/सेवा शर्त्त के मामले में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के उक्त संकल्प में वर्णित प्रावधान के साथ–साथ निर्गत अन्य संगत संकल्प में वर्णित प्रावधान भी प्रभावी रहेंगे।

2. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(भगवत राम)
अभियंता प्रमुख–सह–
अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांकः–4/अ0प्र0–1–16/2020 6833 /पटना, दिनांक– 24/10/24

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/योजना एवं विकास विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन/लघु जल संसाधन विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग एवं अन्य सभी संबंधित विभाग तथा विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख–सह–
अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

P.T.O

Office Order

ज्ञापांकः–4 / अ0प्र0–1–16 / 2020 6833 / पटना दिनांक– 24/10/24

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव / अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव के आप्त सचिव / अभियंता प्रमुख के आप्त सचिव / निजी सहायक / विशेष सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के साथ विभागान्तर्गत सभी राजपत्रित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/10/24

अभियंता प्रमुख–सह–
अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांकः–4 / अ0प्र0–1–16 / 2020 6833 / पटना दिनांक– 24/10/24

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता–02, 05 एवं 06, ग्रामीण कार्य विभाग / अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मोतिहारी, औरंगाबाद एवं मधुबनी / कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मोतिहारी, औरंगाबाद एवं फुलपरास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/10/24

अभियंता प्रमुख–सह–
अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांकः–4 / अ0प्र0–1–16 / 2020 6833 / पटना दिनांक– 24/10/24

प्रतिलिपिः–श्री सुनील कुमार सिंह, संविदा के आधार पर नियोजित सेवानिवृत कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मोतिहारी / श्री दीननाथ राय, संविदा के आधार पर नियोजित सेवानिवृत कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद एवं श्री विष्णुदेव दास, संविदा के आधार पर नियोजित सेवानिवृत कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, फुलपरास एवं अन्य सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/10/24

अभियंता प्रमुख–सह–
अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांकः–4 / अ0प्र0–1–16 / 2020 6833 / पटना दिनांक– 24/10/24

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/10/24

अभियंता प्रमुख–सह–
अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव